प्रश्न सं. [क्र. 512]

/2026-O/oJD-Sec-2-REW-DTA [redacted]

"परिशिष्ट"-1

कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा (म0प्र0)

क./शिकायत/2026/450 रीवा दिनांक 03/07/2026

प्रति,

आयुक्त
कोष एवं लेखा
म.प्र. भोपाल

विषयः–विधानसभा ध्यान आकर्षण – रीवा जिला कोषालय अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का तथ्यात्मक प्रतिवेदन।

संदर्भः– आपका अर्द्धशासकीय पत्र कमांक/52 भोपाल, दिनांक 07.05.2026।

——00——

संदर्भित पत्र द्वारा श्री पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला जिला कोषालय अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जॉच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत सहित चाहा गया है। पत्र के साथ संलग्न शिकायतों की जॉच पश्चात तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

(1) अगस्त क्रांति मंच फाउण्डेशनः– दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायतों में अंकित देयकों की जॉच किया गया, जिसमें अधिकांशतः देयक अर्जित अवकाश नगदीकरण से संबंधित है, जिनका भुगतान वित्तीय एवं कोषालय नियमों के पात्रतानुसार किया जाना पाया गया। नियमानुसार देयकों में अंकित राशि का भुगतान किये जाने से शासन को कोई वित्तीय हानि नही हुई है।

सेवा निवृत्त डाइट प्राचार्य श्री श्यामनारायण शर्मा की ग्रेज्युटी मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 64 के "ग" के अनुरूप नही होने से अनन्तिम उपादान देयक का भुगतान नही किया जाना पाया गया। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला रीवा के पत्र क0/डाइट/2024/486 रीवा, दिनांक 11.09.2024 के साथ लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र कमांक/स्था/सत/सी/179/रीवा/2017/2588 भोपाल, दिनांक 06.12.2017 द्वारा श्री श्यामनारायण शर्मा तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जॉच प्रस्तावित किया गया था। जिसके कारण श्री शर्मा का अनन्तिम उपादान का देयक पेंशन नियम 64 के "अ" अनुसार नही होने से पारित नही होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा नियमों के विपरीत आहरित कर भुगतान की जा रही राशि से शासन को होने वाली हानि को रोका गया है न कि वित्तीय अनियमितता की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

3/1/7/0001/2026-O/oJD-Sec-2-REW-DTA

(2) श्री मनीष नामदेव पार्षद वार्ड क्र. 27 नगर पालिक निगम रीवा— स्थानीय दैनिक विंध्य भारत समाचार पत्र में दिनांक 01 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित शिकायतों में अधिकांश देयक उपरोक्त क्र0 1 में की गई शिकायत अनुसार है एवं महालेखाकार द्वारा जारी अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों का कोषालय में IFMIS System में नियमानुसार प्रस्तुत नही होना पाये जाने से, देयकों का आपत्ति पूर्ति पश्चात पारित किया जाना पाया गया, जो नियमानुसार है।

(3) मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के पत्र क्र0/अ.क0सं.भो./2024/भोपाल, दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रमुख सचिव वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल को की गई शिकायतों को अपने ही पत्र क्र0/अ.क.सं.मो./2024/15 भोपाल, दिनांक 02.12.2024 द्वारा खण्डन करते हुए प्रमुख सचिव, वित्त विभाग म0प्र0 शासन मंत्रालय भोपाल को लेख किया गया है। म0प्र0 संयुक्त कर्मचारी अधिकारी मोर्चा जिला रीवा के जिलाध्यक्ष आशीष द्विवेदी द्वारा जिला स्तर से कोई शिकायत/प्रस्ताव नही भेजे जाने का लेख किया गया है एवं कोषालयीन कार्यप्रणाली की प्रशंसा की गई है। इसी प्रकार म0प्र0 कर्मचारी कांग्रेस द्वारा भी पत्र दिनांक 03.12.2024 में कर्मचारी संघ के पदाधिकारी द्वारा की गई शिकायतों को तथ्यहीन, औचित्यहीन एवं नस्तीबद्ध योग्य होने का लेख किया गया है।

तीनों शिकायतों में श्री पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला कोषालय अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त एवं शासन को हानि के संबंध में लेख किया गया है, वर्तमान कोषालय में संचालित IFMIS Software में देयक प्रस्तुत कर भुगतान स्वीकृति करने का अधिकार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रदाय किया गया है। कोषालय में उपरोक्तानुसार ऑनलाइन प्राप्त देयकों में संशोधन का कोई अधिकार कोषालय अधिकारी को नही है। म0प्र0 कोषालय संहिता एवं वित्तीय संहिता नियमों के अनुरूप/विपरीत होने पर पारित/आपत्ति का अधिकार कोषालय अधिकारी को है।

उपरोक्तानुसार श्री पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रीवा के विरूद्व संदर्भित पत्र के संलग्नक द्वारा की गई शिकायत तथ्यहीन एवं निराधार है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा नियमानुसार देयकों का भुगतान किया जाना पाया गया। अतः शिकायतों का नस्तीवद्ध किया जाना उचित होगा।

कलेक्टर
जिला रीवा (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner